नैक द्वारा प्रत्यायित श्रेणी ''बी''

महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

महाराणा प्रताप महाविद्यालय, गोरखपुर
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
स्थापित 2005 ई.

मो. 7897475917, 9794299451
Website : www.mpm.edu.in
E-mail : mpmpg5@gmail.com

पत्रांक..............................

दिनांक : 24.08.2022

छात्रसंघ चुनाव 2022–23

चुनाव प्रक्रिया – चुनाव प्रक्रिया तीन दिनों में पूर्ण होगी।

प्रतिनिधि चयन – 29 अगस्त, 2022 को सभी कक्षा प्रतिनिधि छात्रसंघ संविधान के अनुसार चुने जायेंगे। एक से अधिक छात्र होने पर ही छात्र प्रतिनिधि चुनें जायेंगे। कक्षा प्रतिनिधि चुनाव हेतु 10 (दस) बहुविकल्पी प्रश्न दिये जायेंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंक का होगा। सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधि घोषित किया जायेगा।

पदाधिकारी नामांकन – 29 अगस्त, 2022 को सायं 03.00 बजे से 05.00 बजे तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री हेतु महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में से एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक द्वारा प्रत्याशिता निर्धारित प्रारूप पर किया जा सकेगा। प्रत्याशिता प्रारूप कार्यालय से प्राप्त होगा तथा वही पर जमा होगा, जिसके लिए परिचय पत्र/फीस रसीद, फोटोग्राफ आवश्यक है।

नामांकन वापसी – 30 अगस्त, 2022 प्रातः 09.00 बजे से 10.00 बजे तक प्रत्याशी द्वारा अपनी प्रत्याशिता वापस ली जा सकेगी। तत्पश्चात 10.30 से 11.00 बजे तक प्रत्याशियों के आवेदन/पर्चे की जाँच होगी तथा वैध प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जायेगी।

योग्यता भाषण – वैध प्रत्याशियों की सूची घोषित होते ही 01.30 बजे से श्रीराम सभागार में प्रत्याशियों का योग्यता भाषण प्रारम्भ होगा, जिसमें प्रत्याशी को साधारण सभा के समक्ष अपनी बात अधिकतम 10 मिनट में रखना होगा।

मतदान – 31 अगस्त, 2022 को प्रातः 08.30 से अपराह्न 01.30 बजे तक मतदान होगा। सभी प्रत्याशी अपने–अपने तीन एजेन्ट का नाम, फोटो 30 अगस्त को अपराह्न 04.00 बजे तक अवश्य जमा कर दें। 31 अगस्त, 2022 को किसी एजेन्ट का नाम स्वीकार नहीं होगा। मतदान के दिन सभी प्रत्याशी एवं एजेन्ट कालेज परिसर में प्रातः 08.00 बजे तक अवश्य उपस्थित हो जाएं, जिससे मतदान प्रातः 08.30 बजे प्रारम्भ हो सके।

मतगणना एवं परिणाम – अपराह्न 02.30 बजे से परिणाम आने तक मतगणना चलती रहेगी। मतगणना के पश्चात चुनाव अधिकारी उसी दिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री को प्रमाण–पत्र दे देंगे।

चुनाव आचार संहिता – छात्रसंघ चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आचार संहिता का पालन अनिवार्य होगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी की प्रत्याशिता स्वतः समाप्त हो जायेगी। चुनाव आचार संहिता में निम्नलिखित आचरण, व्यवहार अपेक्षित होंगे–

(क) चुनाव प्रचार हेतु कोई भी प्रत्याशी पोस्टर, बैनर पर्चा, दिवाल लेखन आदि किसी भी प्रकार का व्यय साध्य तरीका नहीं अपनायेगा।

(ख) कक्षाओं में उद्बोधन, परिसर में एकाधिक के साथ समूह बनाकर चलना, किसी बाहरी को परिसर में बुलाना आदि प्रतिबन्धित रहेगा।

(ग) महाविद्यालय परिक्षेत्र में किया गया कोई भी अमर्यादित आचरण, व्यवहार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।

(घ) योग्यता भाषण का आयोजन ही प्रचार का एकमात्र माध्यम होगा।

(ङ) चुनाव अधिकारी के निर्णय पर प्राचार्य के पास अपील की जा सकेगी। प्राचार्य का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। प्राचार्य के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

(चुनाव अधिकारी)
डॉ. शिवकुमार बर्नवाल